(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART-IV EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OFFICE OF THE COMMISSIONER FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS K-BLOCK, VIKAS BHAWN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F.50/222(3)/F&S/CA/2020/ 1264-1276

Dated:- 13 | 12 | 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of F.50/222(3)/F&S/CA/2020/ Section 28 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby establishes District Consumer Disputes Redressal Commission to be known as District Commission with effect from the 20th July, 2020 in each district of the National Capital Territory of Delhi.

The President and every other members of the each District Consumer Disputes Redressal Commission appointed immediately before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 shall continue to hold office as the President and Members of the District Consumer Disputes Redressal Commission as provided in section 28 of the said Act.

> By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(NEERAJ SEMWAL) SECRETARY-CUM-COMMISSIONER Food Supplies & Consumer Affairs Department

Copy Forwarded to the :-

- 1) The Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.
- 2) The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3) The Secretary to the Minister of Food Supplies & Consumer Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 4) OSD to Chief Secretary, Delhi, Delhi Secretariat.
- The Principal Secretary (L.J & L.A.), Govt. of NCT of Delhi.
- The Principal Secretary Finance Department, Govt. of NCT of Delhi.
- The Under Secretary to the Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi.
- 8) The Dy. Secretary (GAD), Co-ordination Branch: in duplicate, for the publication in Delhi Gazette, Part-IV Extraordinary of today's date.
- 9) The Deputy Registrar of the National Consumer Dispute Redressal Commission, Upbhokta Nyay Bhawan, 'F' Block, G.P.O. Complex, INA, NEW DELHI - 110 023
- 10) The Registrar, State Dispute Redressal Commission Delhi, K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 11) All Presidents of District Commissions Delhi, Govt. of NCT of Delhi.
- 12 System Analysts Food Supplies & Consumer Affairs Department to uploading in F&S ebsite.
 - 13 ard file.

ASSISTANT DIRECTOR (CONSUMER AFFAIRS) Food Supplies & Consumer Affairs Department

(दिल्ली राजपत्र भाग—IV असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आयुक्त : खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप के— ब्लाक, विकास भवन, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली — 110002

एफ.सं0 50/222(3)/एफ एण्ड एस/सीए/2020/ | 264 - 1276

दिनांक : 13/12/2021

<u>अधिसचना</u>

एफ.सं० 50/222(3)/एफ एण्ड एस/ सीए/2020/ :— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 28 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो जिला आयोग के रूप में जाना जाता है, को स्थापित करते हुए यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक जिले में 20 जुलाई, 2020 से प्रभावी होंगे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आरंभ होने से ठीक पहले जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य जो उक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

1

(नीरज सेमवाल) सचिव—सह—आयुक्त खाद्य आपूर्ति एवं उपमोक्ता मामले विभाग

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. सचिव, मंत्री, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली, दिल्ली सचिवालय।

प्रधान सचिव (एल.जे एवं एल.ए), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

6. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

- अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण, उपभोक्ता मामले विधाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 8. उप—सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), समन्वय शाखा, दिल्ली राजपत्र भाग—चार असाधारण में आज की तिथि से प्रकाशन हेतु प्रतिलिपि।
- 9. उप-पंजीयक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपभोक्ता न्याय भवन, एफ ब्लाक, जी.पी. ओ. परिसर, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023.
- 10. पंजीयक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली, के—ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

11. समस्त अध्यक्ष, जिला आयोग दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

12. प्रणाली विश्**लेषक** (सिस्टम एनालिस्ट), खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

13. गार्ड फाईल।

सहायक निदेशक (उपभोक्ता मामले) खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग